

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ(4)/ई(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 13213/6650

दिनांक:- 27-01-2021

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमति/सुश्री जितेन्द्र कुमार (लिंक न. 13213) तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोष, पहाडी (भरतपुर) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

असाधारण अवकाश का विवरण:-

दिनांक 07.01.2019 से 18.01.2019 तक
(कुल दिवस 12)

उक्त कुल 12 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमति/सुश्री जितेन्द्र कुमार की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ(4)/ई(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 13213/6650 दिनांक:- 27-01-2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. उपकोषाधिकारी, पहाड़ी, भरतपुर ।
2. कार्यालय कोषाधिकारी, भरतपुर ।
3. श्री/श्रीमति/सुश्री जितेन्द्र कुमार (लिंक न. 13213) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोष, पहाडी, भरतपुर ।
4. निजी सचिव, निदेशक ।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रक्षित पत्रावली ।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)